



दैनिक संपादकीय विश्लेषण

विषय

पंचायती राज आंदोलन संकट में

पंचायती राज आंदोलन संकट में

संदर्भ

- भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ पर संसद में हाल ही में हुई चर्चाओं में इस बात पर प्रकाश डाला गया कि स्थानीय शासन को मजबूत बनाने की दिशा में प्रगति रुक गई है।
 - पंचायती राज आंदोलन के संकट में कई कारक योगदान दे रहे हैं, जिसके लिए तत्काल सुधार की आवश्यकता है।

भारत में पंचायती राज के बारे में

- ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: पंचायती राज की अवधारणा का आधार प्राचीन भारत में है, जहाँ ग्राम सभाएँ (पंचायत) स्थानीय शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं।
- महात्मा गांधी ने पंचायती राज को भारत की राजनीतिक व्यवस्था की नींव के रूप में देखा था, जो ग्राम स्वशासन (ग्राम स्वराज) का समर्थन करता था।
- 1992 के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम ने स्थानीय शासन की त्रिस्तरीय प्रणाली बनाकर इस दृष्टिकोण को संस्थागत रूप दिया:
 - गाँव स्तर पर ग्राम पंचायत;
 - ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति;
 - जिला स्तर पर जिला परिषद;

पंचायती राज संस्थाओं की संरचना और कार्यप्रणाली (73वें संशोधन के अनुसार)

- पंचायती राज व्यवस्था प्रत्येक पाँच वर्ष में होने वाले नियमित चुनावों के ज़रिए संचालित होती है, जिसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण होता है।
- यह स्थानीय शासन में हाशिए पर पड़े समूहों की समावेशिता और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करता है।
- स्थानीय प्रशासन की मूल इकाई के रूप में ग्राम पंचायत, गाँव स्तर पर विभिन्न विकास कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने के लिए ज़िम्मेदार है।

पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित प्रमुख समितियाँ

- बलवंत राय मेहता समिति (1957):** इस ऐतिहासिक समिति ने ग्राम पंचायतों (गाँव स्तर), पंचायत समितियों (ब्लॉक स्तर) और जिला परिषदों (जिला स्तर) के साथ त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की।
- अशोक मेहता समिति (1977):** पंचायतों के वित्तीय संसाधनों और कार्यात्मक स्वायत्तता को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया।
- जी.वी.के. राव समिति (1985):** नियमित चुनावों और महिलाओं और हाशिए के समुदायों की अधिक भागीदारी की आवश्यकता पर बल दिया।
- एल.एम. सिंघवी समिति (1986):** वित्तीय बाधाओं को दूर करने और पंचायतों की प्रशासनिक दक्षता में सुधार के उपायों की सिफारिश की।
- पी.के. थुंगन समिति (1989):** चुनावी सुधारों और पंचायतों को अधिक शक्ति और कार्यों का हस्तांतरण प्रस्तावित किया।

- **नटराजन समिति (1996):** 73वें संशोधन के कार्यान्वयन का मूल्यांकन किया तथा शक्ति और संसाधनों के और अधिक हस्तांतरण की सिफारिश की।
- **सच्चर समिति (2006):** पंचायतों में महिलाओं के अधिक प्रतिनिधित्व और सशक्तिकरण की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- **एम.वी. राजवाड़े समिति (2017):** ग्राम सभाओं के कामकाज की समीक्षा की तथा उनकी भागीदारी और प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए कदम उठाने की सिफारिश की।

पंचायती राज व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ

- **प्रशासनिक विकेंद्रीकरण में कमी:** प्रभावी स्थानीय शासन के लिए राज्य सरकारों को स्थानीय सरकारों को कर्मचारी और प्रशासनिक नियंत्रण सौंपना आवश्यक है।
 - हालाँकि, 20% से भी कम राज्यों ने संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध सभी 29 विषयों को पूरी तरह से हस्तांतरित किया है। यह पंचायतों के कामकाज में बाधा उत्पन्न करता है।
- **राजकोषीय स्वायत्तता में गिरावट:** यद्यपि 73वें संशोधन में वित्तीय हस्तांतरण अनिवार्य है, व्यवहार में, पंचायतें अभी भी राज्य और केंद्रीय अनुदानों पर बहुत अधिक निर्भर हैं।
 - यद्यपि तेरहवें वित्त आयोग (2010-15) के अंतर्गत पंचायतों को प्रत्यक्ष हस्तांतरण ₹1.45 लाख करोड़ से बढ़कर पंद्रहवें वित्त आयोग (2021-26) के अंतर्गत ₹2.36 लाख करोड़ हो गया है, वहीं अनटाइड अनुदानों में उल्लेखनीय कमी आई है।
 - अनटाइड अनुदान, जो स्थानीय निर्णय लेने की अनुमति देता है, 85% से घटकर 60% हो गया है, जिससे स्थानीय सरकारों की स्वायत्तता कम हो गई है।
 - 14वें और 15वें वित्त आयोग ने PRIs को अनुदान बढ़ाने की सिफारिश की, लेकिन नौकरशाही की लालफीतशाही के कारण निधि का उपयोग अक्षम बना हुआ है।
- **शासन में लैंगिक और सामाजिक असमानता:** हालाँकि 73वें संशोधन में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान है, और कई राज्यों ने इसे बढ़ाकर 50% कर दिया है, लेकिन पंचायत राजनीति में लैंगिक पूर्वाग्रह अभी भी उपस्थित है।
 - ‘सरपंच पति’ (जहाँ पति या पुरुष रिश्तेदार निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की ओर से निर्णय लेते हैं) की घटना स्थानीय शासन में महिलाओं के वास्तविक सशक्तिकरण को कमज़ोर करती है।
 - इसके अतिरिक्त, जाति-आधारित राजनीति प्रायः हाशिए पर पड़े समुदायों को निर्णय लेने में सक्रिय रूप से भाग लेने से रोकती है।
- **अपर्याप्त जवाबदेही और पारदर्शिता:** पारदर्शिता में सुधार के लिए प्रारंभ किए गए सामाजिक ऑडिट या तो नियमित रूप से नहीं किए जाते हैं या उनमें संशोधन की जाती है। मिड-डे मील स्कीम, PMAY-G और PDS (सार्वजनिक वितरण प्रणाली) जैसी कल्याणकारी योजनाओं में धन के दुरुपयोग ने स्थानीय शासन में भ्रष्टाचार के बारे में चिंताएँ बढ़ा दी हैं।
- **कल्याण वितरण तंत्र में बदलाव:** जन धन-आधार-मोबाइल (JAM) प्लेटफॉर्म जैसे प्रत्यक्ष नकद हस्तांतरण पर केंद्र सरकार की निर्भरता ने लाभार्थी चयन और शिकायत निवारण में ग्राम पंचायतों को दरकिनार कर दिया है। इसने कल्याण वितरण में पंचायतों की पारंपरिक भूमिकाओं को कम कर दिया है।
- **राजनीतिक हस्तक्षेप और कमज़ोर स्वायत्तता:** स्थानीय शासन प्रायः राज्य की राजनीति से प्रभावित होता है, जहाँ वास्तविक नीति कार्यान्वयन में गाँव के प्रतिनिधियों की बहुत कम भूमिका होती है।

- राज्य सरकारें निधियों को नियंत्रित करती हैं, और कई पंचायत नेता स्थानीय विकास के लिए निर्णय लेने वालों के बजाय राज्य योजनाओं के कार्यान्वयनकर्ता के रूप में कार्य करते हैं।
- **नौकरशाही बाधाएँ और क्षमता की कमी:** कई पंचायत पदाधिकारियों के पास उचित प्रशिक्षण का अभाव है, जिसके कारण खराब शासन तथा MGNREGA (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम) और PMAY-G (प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण) जैसी विकास योजनाओं को लागू करने में अक्षमता है।
- **तेजी से शहरीकरण का प्रभाव:** तेजी से शहरीकरण के साथ, नीति का ध्यान ग्रामीण शासन के बदले शहरों और नगरपालिका सुधारों की ओर स्थानांतरित हो गया है।
 - 1990 में भारत की लगभग 75% जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती थी, लेकिन अब यह घटकर लगभग 60% रह गई है। इससे पंचायतों की प्रासंगिकता और कार्यप्रणाली प्रभावित हुई है।

पंचायती राज प्रणाली को पुनर्जीवित करना

- **वित्तीय स्वायत्तता को मजबूत करना:** 15वें वित्त आयोग ने पंचायतों के लिए अधिक धनराशि की सिफारिश की है, लेकिन समय पर आवंटन एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
 - पंचायतों को स्थानीय कर एकत्र करने का अधिकार दिया जाना चाहिए, ताकि राज्य और केंद्रीय अनुदानों पर निर्भरता कम हो सके।
- **प्रशासनिक क्षमता में वृद्धि:** शासन में सुधार के लिए पंचायत प्रतिनिधियों के लिए उचित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।
 - डिजिटल गवर्नेंस टूल के उपयोग से फंड प्रबंधन और सेवा वितरण में दक्षता में सुधार हो सकता है।
- **राजनीतिक और नौकरशाही हस्तक्षेप को कम करना:** राज्य सरकारों को नौकरशाही नियंत्रण को कम करके पंचायतों के लिए अधिक स्वायत्तता सुनिश्चित करनी चाहिए।
 - पंचायत चुनाव राजनीतिक प्रभाव के बिना निष्पक्ष रूप से आयोजित किए जाने चाहिए।
- **सामाजिक लेखा परीक्षा और जवाबदेही तंत्र को मजबूत करना:** भ्रष्टाचार को कम करने और पारदर्शिता में सुधार करने के लिए नियमित सामाजिक लेखा परीक्षा अनिवार्य होनी चाहिए।
 - ग्रामीणों को शासन में सक्रिय भागीदारी की अनुमति देने के लिए ग्राम सभाओं को मजबूत किया जाना चाहिए।
- **पंचायतों में महिला सशक्तिकरण:** महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों पर प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व को रोकने के लिए कठोर कानून लागू किए जाने चाहिए।
 - महिला प्रतिनिधियों को नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रदान किए जाने चाहिए।
- **डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के साथ एकीकरण:** ई-पंचायत पहलों के उपयोग से शासन में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ सकती है। शासन में नागरिक भागीदारी को बेहतर बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल साक्षरता कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

निष्कर्ष

- पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकृत शासन के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बनी हुई है, लेकिन वित्तीय, प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियों के कारण यह वर्तमान में संकटग्रस्त है।
- पर्याप्त वित्तीय स्वायत्तता, क्षमता निर्माण और जवाबदेही तंत्र के साथ पंचायतों को मजबूत करना आंदोलन को पुनर्जीवित कर सकता है।

- स्थानीय स्वशासन को सशक्त बनाना न केवल एक संवैधानिक जनादेश है, बल्कि भारत में समग्र ग्रामीण विकास सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यकता है।

Source: TH

दैनिक मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न

प्रश्न: भारत में पंचायती राज प्रणाली के समक्ष वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए, जिनमें प्रशासनिक केंद्रीकरण, घटती वित्तीय स्वायत्तता और कल्याण वितरण तंत्र में बदलाव सम्मिलित हैं, आपके अनुसार बुनियादी स्तर पर स्थानीय शासन को पुनर्जीवित एवं मजबूत करने के लिए कौन से सुधार एवं रणनीतियाँ आवश्यक हैं?

